प्रेस विज्ञप्ति

31/01/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 24/01/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स मिडास टच रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से संबंधित ओडिशा के अंगुल, मयूरभंज, बेरहामपुर, गंजम जिलों में अवस्थित 16 भूखंडों और 5 प्लॉटों के रूप में 1.38 करोड़ रुपए की 21 संपत्तियां एवं बैंक खातों में जमा 6.54 लाख रुपए की चल संपत्तियां अनंतिम रूप से जब्त की हैं।

ईडी ने आईपीसी, 1860 कि विभिन्न धाराओं और पुरस्कार चिटों एवं धन संचालन (प्रतिबंधित) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।

ईडी की जांच से पता चला कि मैसर्स मिडास टच ग्रुप कि कॉम्पनीयां, जिसमें मैसर्स मिडास टच रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स मिडास टच एसेट्स एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं, सौभाग्य कुमार सामल और अन्य के निर्देशन में "अवैध धन संचलन व्यवसाय" चला रही थी।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि उन्होंने आरओसी, आरबीआई और सेबी से किसी भी अनिवार्य अनुमति के बिना तरजीह शेयर, एसआईपी आदि जारी करने की आड़ में जनता से धन एकत्र किया। आम जनता से एकत्र किए गए धन को अलग-अलग कंपनियों में बाँट दिया गया और इसके बाद उनके नाम के साथ-साथ उनके द्वारा लाभकारी रूप से स्वामित्व और नियंत्रित कंपनियों के नाम पर धन अर्जित करने के लिए निकाल लिया गया और उपयोग किया गया। जैसे कि ऊपर उल्लेखित है कथित व्यक्तियों द्वारा अपराध की कथित आय का उपयोग करके अर्जित की गई संपत्ति और विभिन्न बैंक खातों में जमा रकम को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से जब्त किया गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

***